N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0017 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/01/2025 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/01/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:55 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/01/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/01/2025 18:06:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** TAHSIL KARYALAY, PIPAR SAHAR JILA JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** POKARRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** TEJARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1956 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM RATKURIYA, PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM RATKURIYA, PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JITARAM URF JITENDRA MUNDIYARA		पिता:HARIRAM MUNIDYARA	1. BHADO KA BAS,GRAM SATHIN,PIPAR CITY,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। विशय- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि मैं पोकरराम s/o श्री तेजारामजी जाती - जाट उम्र 69 वर्ष निवासी रतकुड़िया त. पीपाड़ शहर जि-जोधपुर का रहने वाला हु। मेरे द्वारा तारीक 23 जनवरी 2025 को श्रीमति रामगुड़िया सुथार s/o रामकृपाल सुथार एवम् रामकृपाल सुथार पुत्र श्री रामभरोस सुथार उम्र 35 वर्श जाति सुथार निवासी 16, रूपनगर पावटा ब् रोड़ जोधपुर से दो कृषि उद्योगीक प्लॉट सं. 22 व 23 की रजिस्ट्री करवाई थी यह प्लोट रीया उद्योगीक क्षेत्र में आय हुअ्ठे है। कल दिनांक 23/1/2025 को रजिस्ट्री होने के बाद तहसीलदार पीपाड़ षहर के कार्यालय में कार्यरत नहीं होकर तहसील के बाहर श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा ने रजिस्ट्री पेष करने के बाद मेरे से पांच हजार रूपयेकीमांग कर कहा कि आपकी रजिस्ट्री में रोड़ 60 फूट की जगह 30 फुट अंकित हो गई है इसलिए रजिस्ट्री में रोड़ 60 फुट अंकित करने के अवज में रिडर व तहसीलदार के लिए 4 हजार रूपये रिष्वत माग रहा है मैं जितेन्द्र मुन्दियाड़ा को रजिस्ट्री का खर्चा वगरा दे चुका हुं मैं मेरे जायज काम के लिए तहसीलदार व रिडर को 4 हजार रूपये रिष्वत राषि नहीं देना चहाता हु बल्कि रिष्वत लेते हुअ्ठे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हुं मेरी तहसीलदार व उनके रिडर व जितेन्द्र मुन्दियाड़ा से ना तो मेरी व्यक्तिगत रनजीस है न ही को पुराना लेन-देन बाकी है कृपया करके कानुनी कार्यवाही करे दिनांक 24/1/2025 भवदीय एसडी/ (पोकर राम डुडी) फो नं 9460153897 कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.01.2025 समय 1.30 पी.एम. इस समय परिवादी श्री पोकरराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 69 वर्ष निवासी रतकुडिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर नें एसीबी चौकी जोधपुर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी की रिपोर्ट से पीपाड सिटी तहसील कार्यालय में दलाल श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जीताराम द्वारा तहसीलदार व रीडर के नाम 4000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग दिनांक 23.01.2025 को रजिस्ट्री होनें के बाद करना पाया गया। परिवादी से मजीद दरियाफत से श्री पोकरराम नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि औधोगिक क्षेत्र रिया में मेरी पत्नि श्रीमति सीता के नाम दो प्लॉट संख्या 22 व 23 की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय पीपाड सिटी में दिनांक 23.01.2025 को करवाई गई। रजिस्ट्री में 60 फीट रोड होनं के बावजूद 30 फीट रोड बताकर मेरे से तहसीलदार व रीडर के नाम 4000 रूपयें श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जीताराम द्वारा मांग की जा रही है। तहसील में भ्रष्टाचार से तंग होकर रिपोर्ट करनें आया हूं। परिवादी की रिपोर्ट व मजीद दरियाफत से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जानें पर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जावेगा। जिस पर कार्यालय में पदस्थापित श्री किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस का परिवादी श्री पोकरराम से परिचय करवाकर परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपी से मांग सत्यापन ईत्यादि की अग्रिम कार्यवाही करनें हेतु परिवादी की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज सुपर्द किये गये। एसडी/ एसडी/ एसडी/ एसडी/ एसडी/ पेकरराम विकास नवीन चौधरी (किशनसिंह चारण) (चक्रवर्तीसिंह राठौड़) उप अधीक्षक पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर जोधपुर समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री पोकरराम को मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय रिपोर्ट व दस्तावेज के अपने कार्यालय में लेकर आया। परिवादी श्री पोकरराम से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफ्त की तो उसने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री पोकरराम से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नं. एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री पोकरराम को समझाया गया। समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री पोकरराम ने बताया कि मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज पीपाड सिटी जानें में समय लगेगा तब तक तहसील कार्यालय बन्द हो जायेगा एवं कल दिनांक 25.01.2025 व 26.01.2025 तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर में अवकाश होने से श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा उर्फ जीताराम से रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना सम्भव नहीं है। अतः रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 27.01.2025 हो पायेगा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि कार्यवाही की गोपनीयता रखें एवं श्री भीमंसिह कानि. के पीपाड शहर उपस्थित होनें पर वहां पर उपस्थित मिले। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पोकरराम को दिनांक 27.01.2025 को सुबह 11.00 ए.एम.

पर पीपाड़ सिटी के तहसील कार्यालय के पास मिलने की आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 27.01.2025 समय 10.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड डाल कर श्री भीमसिंह कानि. 446 को सुपुर्द परिवादी श्री पोकरराम से सम्पर्क कर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु पीपाड़ शहर की तरफ रवाना किया गया। समय 11.54 ए.एम. पर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल नं. [redacted] से मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर फोन कर बताया कि परिवादी श्री पोकरराम एवं दलाल श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा के मध्य रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो गया है। आरोपी द्वारा परिवादी से 4000/-रूपये की रिश्वत राशि मांग की गई है। आरोपी द्वारा परिवादी को आज शाम को ही 4000/-रूपये रिश्वत राशि लाने को कहा। जिस पर परिवादी ने आरोपी को कहा कि आज मेरे कोई काम है समय पर फ्री हो गया तो आज ले आउंगा नहीं तो कल दिनांक 28.01.2025 को ले आउंगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 के मोबाईल पर परिवादी से बात कर आरोपी श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 4000/-रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 28.01.2025 को प्रातः 10.00 ब्यूरो चौकी जोधपुर में उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीय रखने हिदायत दी तथा श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 को परिवादी श्री पोकरराम को वही से रूखस्त करने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 03.30 पी.एम. पर गोपनीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने गये श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द कर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय जोधपुर से रवाना होकर पीपाड़ शहर पहुंचने से पहले मैंने अपने मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री पोकरराम के मोबाईल नं. [redacted] पर परिवादी के उपस्थिती के सम्बन्ध में वार्ता की तो परिवादी श्री पोकरराम ने मन् कानि. को बताया कि मैं पीपाड़ शहर के मुन्दियाड़ा सर्किल पर पहुंच रहा हूं। आप भी वही आ जाओं। जिस पर मैं पीपाड़ शहर के मुन्दियाड़ा सर्किल पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री पोकरराम उपस्थित मिला। जिस पर मैंने दलाल श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा की उपस्थिति के बारे में पुछा तो परिवादी श्री पोकराम ने बताया कि श्री जितेन्द मुन्दियाड़ा अभी तहसील कार्यालय में ही है। जिस पर मैंने तहसील कार्यालय से थोड़ा पहले परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर की तरफ रवाना किया मैं अपनी उपस्थिति गोपनीय रूप से छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में तहसील कार्यालय पीपाड सिटी के आस पास ही खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री पोकरराम तहसील कार्यालय से बाहर निकल कर मेरे पास आया । परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैंने परिवादी से प्राप्त कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर को स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं साथ ही परिवादी श्री पोकरराम ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर के अन्दर पहुंचा। जहां पर श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा मुझे मिला जिनसे मेरे रजिस्ट्री दिनांक 23.01.2025 को हुई थी, जिसमें 60 फुट रोड की जगह 30 फीट अंकित कर दी थी। उक्त रजिस्ट्री को सही करनें की एवज में श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जीताराम द्वारा तहसीलदार व रीडर के नाम 4000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई।.जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त कथनो की ताईद हुई एवम आरोपी द्वारा परिवादी से 4000/-रूपये रिष्वत राषि मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर मेरे पास रखा। आईन्दा रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट तैयार की जावेगी। समय 05.30 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु पत्र क्रमांक 245 दिनांक 27.01.2025 श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम मुर्तिब कर पत्र प्रेषित किया एवं जेडीए जोधपुर से दिनांक 28.01.2025 को समय 10 ए.एम. पर गवाह भिजवानें बाबत जरिये दूरभाष वार्ता की गई। जिस पर गवाह भिजवानें बाबत सहमती दी गई। दिनांक 28.01.2025 समय 10.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदापरिवादी श्री पोकरराम कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा को र रिश्वत में दी जाने वाली 4,000/-रूपये की राशि लेकर आया हू साथ ही परिवादी श्री पोकरराम ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री पोकरराम ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर के अन्दर पहुंचा। जहां पर श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा मुझे मिला जिनसे मेरे रजिस्ट्री दिनांक 23.01.2025 को हुई थी, जिसमें 60 फुट रोड की जगह 30 फीट अंकित कर दी थी। उक्त रजिस्ट्री को सही करनें की एवज में श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जीताराम द्वारा तहसीलदार व रीडर के नाम 4000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई थी। समय 10.45 ए.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिक श्री नवीन चौधरी व श्री विकास उपस्थित आये। जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिचय द्वारा पुछा तो उन्होने बारी-बारी अपना नाम श्री नवीन चौधरी पुत्र श्री सुखाराम चौधरी जाति जाट उम्र 29 साल निवासी मकान नं. 418 सुभाश नगर पाल रोड़ जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] व श्री विकास पुत्र श्री भल्लाराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी धायल नगर ए, गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर हाल पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया एवं कार्यालय में मौजुद परिवादी श्री पोकरराम का परिचय दोनो स्वतन्त्र गवाहान से करवाया। दोनो गवाहान को परिवादी श्री पोकरराम द्वारा पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व परिवादी की रिपोर्ट व उसके संलग्न आधार कार्ड का अवलोकन कराया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान बनने हेतु मौखिक सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ ही स्विच ऑप कर अपने पास सुरक्षित रखा। समय 11.15 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री नवीन चौधरी व विकास के रू-ब-रू परिवादी श्री पोकरराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 69 साल निवासी रतकुडिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर को आरोपी श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जिताराम दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी० जिला जोधपुर को रिश्वत मे दी जाने वाली राषि पेष करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री पोकरराम ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपयें के 08 नोट कुल राशि 4,000/- रूपये पेश किये। परिवादी श्री पोकरराम द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी में अंकित कर कार्यालय के श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की षीषी लेकर आयें तथा उक्त 4000 रूपये के नोटो पर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पोकरराम की जामा तलाशी गवाह नवीन चौधरी से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर [redacted] परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 4000/- रूपये जो श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा उर्फ जिताराम दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी० जिला जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी पोकरराम के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पोकरराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से प्लास्टिक के गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को नष्ट किया गया। जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2000/- रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी मुर्तिब कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 12.50 पी.एम. पर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री नवीन चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विकास पटवारी, परिवादी श्री पोकरराम मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270, श्रीमती सिता सिंवर महिला कानि नं. 172, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय दो निजी वाहन मय सरकारी वाहन नं. आर जे 19 युसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्राथर्ना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली सहित ब्यूरो चौकी जोधपुर

से तहसील कार्यालय पीपाड़ षहर जिला जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 03.15 पी.एम. पर हालात इस प्रकार से है कि वक्त 12.50 पी.एम. पर मन् किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री नवीन चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता स्वतन्त्र गवाह, श्री विकास पटवारी स्वतन्त्र गवाह, श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446, निजी वाहन सें कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सहित एवं श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270, श्री भरत कनिश्ठ सहायक निजी वाहन से एवं श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 व श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172 एवं श्री प्रेमंिसह चालक के सरकारी वाहन आर जे 14 यूसी 3352 के टेªप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर से रवाना होकर वक्त 02.00 पी.एम पर पीपाड शहर के बाहर पहुचे एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन व चालक श्री प्रेमं सिंह के एवं श्रीमति सीता महिला कानि. एवं श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 कों पीपाड शहर के बाहर की तरफ खडा करवाकर पेश दोनों निजी वाहन मय हमराहीयान के समय 02.18 पी.एम. पर तहसील कार्यालय पीपाड सिटी के पास पहुंचे। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पोकरराम को श्री भीमसिंह कानि. से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपर्द कर तहसील कार्यालय पीपाड सिटी के लिए रिश्वत राशि लेन देन के लिए रवाना कर हिदायत दी गई कि आरोपी से रिश्वत राशि लेन देन हो जानें पर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं ब्यूरों जाब्ता को गोपनीय रूप से ईषारा करे। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में तहसील कार्यालय पीपाड सिटी के आसपास गोपनीय रूप से खडे हो गये। श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 एवं श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 370 एवं श्री भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक, श्री भूरसिंह हैड कानि. एवं श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. को परिवादी के आसपास ही गोपनीयता रखतें हुए परिवादी के गोपनीय ईशारा के लिए तहसील कार्यालय के पास पार्किग के पास स्टाम्प वेण्डर के बैठनें के स्थान के आसपास गोपनीय रूप से खडा किया गया। इसके बाद वक्त 02.55 पी.एम. पर परिवादी श्री पोकरराम नें अपनें दाहिनी हाथ से गोपनीय ईशारा अपनें सिर पर हाथ फेरनें का करनें पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय के पास स्टाम्प वेण्डर के बैठनें के स्थान पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री पोकरराम उपस्थित मिला। जिससें मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर अपनें कब्जें में सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा है जिसने अभी-अभी मेरे से 4000/-रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के पास खडे व्यक्ति कों ब्यूरों जाब्ता की मदद से पकडा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपना व हमराहीयान का परिचय देतें हुए आरोपी कों आनें के मन्तव्य से अवगत कराया गया। आरोपी को नाम पता पूछा तों उसनें अपना नाम श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर होना बताया। जिससे परिवादी श्री पोकरराम सें 4000 रूपयें रिश्वत राशि के बारें में पूछा तों बताया कि मुझे अभी अभी श्री पोकरराम से 4000 रूपयें प्राप्त किये है। श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस को मय सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह व हमराहीयान के तहसील कार्यालय पीपाड षहर उपस्थित होनें के निर्देष जरिये मोबाईल फोन दिये। मौके पर भीड़ भाड़ होने मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा दलाल को तहसीलदार के कार्यालय कक्ष में हाथों के धोवन की कार्यवाही हेतु लेकर आये। कार्यवाही की विडीयो रिकॉर्डिग मोबाईल फोन से करनें हेतु श्री भीमसिंह कानि. को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देषित किया गया। इसी दौरान तहसील कार्यालय में मौके पर श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेम सिंह के मौके पर उपस्थित आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री पोकरराम के रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा से उसका पुनः नाम पूछा तों आरोपी नें अपना नाम जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाड़ा होना बताया। रिष्वत राषि के कितनें रूपयें लिये तों आरोपी नें मन् उप अधीक्षक को बताया कि बारें मे पूछा तों आरोपी नें बताया कि इन्होनें मुझे स्टाम्प के दिये है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी से पूछा की कितनें रूपयें लिये। जिस पर आरोपी नें कहा कि मै स्टाम्प वैण्डर हूं। गर्वमेंन्ट कर्मचारी नही हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री पोकरराम सें पूछा तों आपनें किसके लिए श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा को किस बाबत पैसें दिये। जिस पर परिवादी श्री पोकरराम नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को कहा कि मैनें श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा को 50,000 रूपयें ऑनलाईन किये थे। कल इनसे बात हुई थी तो इन्होनें कहा कि अन्दर देनें है 4000 रूपयें। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी को पूछा कि अन्दर किसकों देनें थे तों परिवादी नें कहा कि अन्दर तहसीलदार के रीडर लक्ष्मण कों, परिवादी नें कहा कि मैनें रजिस्ट्री के अन्दर 60 फीट रोड की रजिस्ट्री करवाई थी। इन्होने ई-मित्र वालों से मिलकर 30 फीट की रोड कर दी। जिस पर परिवादी नें कहा कि रीडर नें रजिस्ट्री चैक करतें समय यह बात पकड ली कि आपके 60 फीट रोड है और रजिस्ट्री में 30 फीट ही लिखी है। कहा कि इन्होनें आज रीडर से अन्दर मिल कर बाहर आयें और कहा कि रजिस्ट्री में 10,000 रूपयें का डिफरेन्स आ

रहा है यदि आप 5000 रूपयें दोगे तों आपका काम हो जायेगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी को पूछा कि आज आपनें 4000 रूपयें दिये तो कहा कि आज मैनें इनकों 4000 रूपयें दिये। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री पोकरराम वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के दोनों गिलासों में तहसील कार्यालय के पानी के कैम्पर सें भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक के दोनों गिलासों में से एक प्लास्टिक के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे प्लास्टिक के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आरएच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नवीन चौधरी से आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा की जामा तलाषी लिरवाई गई तों आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से 500-500 रूपयें के नोट होना पाये गये। जिसकों गवाह श्री विकास सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री नवीन चौधरी सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राषि फर्द के मुताबिक 4,000/- रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 EM 928508 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 UC 336184 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 BP 141649 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 WG 944008 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 RG 861568 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 MD 032628 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 MN 911342 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 AF 149046 उक्त भारतीय मुद्रा 4,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा की जामा तलाषी गवाह श्री विकास सें लिरवाई थी तो आरोपी के पेन्ट की बांयी जेब में एक वीवों कम्पनी का मोबाईल मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर (1) [redacted] (2) [redacted] व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] जीयों कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें 4060/-रूपये नगद तथा आरोपी का पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड मिला, जिस आरोपी उक्त राषि 4060/-रूपये के बारे में पुछने पर घरेलु खर्च के होना बताया। आरोपी का जवाब संतोशजनक होने के उक्त राषि 4060/-रूपये एवं उक्त काले रंग पर्स मय सामान पुनः आरोपी को सुपुर्द किये गये। आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने पर आरोपी के पहनने के लिये पायजामा की व्यवस्था करवाकर जिन्स पेन्ट को उतरवाया जाकर पायाजामा पहनाया गया। इसके बाद रिष्वत राशि बरामद स्थान आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लेना आवष्यक होनें के कारण एक प्लास्टिक के गिलास में आधे से अधिक पानी भरवाया गया। इसके बाद उसके अन्दर सोडियम कार्बोनेट का एक चम्मच डाला गया। इसके बाद उपस्थित सभी नें रंगहीन होना स्वीकार किया गया। इसके बाद रिष्वत राषि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब का उल्टा कर प्लास्टिक गिलास में पेन्ट की जेब को डुबोकर धोवन लिया गया। तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। सभी नें हल्क गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। इसके बाद जीन्स पेन्ट को कपडें की थैली में षील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड शुदा पैकेट को मार्क पी. अंकित किया गया। कार्यवाही के दौरान ही परिवादी श्री पोकरराम की पत्नि श्रीमति सीता के नाम कृषि आधारित लघु उधोग प्रयोजनार्थ भूमि खसरा संख्या 968/3 ग्राम रिया तहसील पीपाड में प्लॉट संख्या 22 व 23 की रजिस्ट्री व संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई। जिस पर उप पंजीयन कार्यालय सें श्री पदमाराम नायब तहसीलदार नें प्रमाणित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त प्रमाणित रिकॉर्ड के प्रथम व अन्तिम पृष्ट पर परिवादी व दोनों स्वतन्◌़त्र गवाह से हस्ताक्षर करवाकर प्रमाणित रिकॉर्ड पर पृष्ठ संख्या 01 से 33 तक कब्जा ब्यूरों ली

गई। आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री पोकरराम से उनकी पत्नि श्रीमती सीता के नाम औधोगिक क्षेत्र रिया में प्लाट संख्या 22 व 23 की रजिस्ट्री दिनांक 23.01.2025 को तहसील कार्यालय पीपाड सिटी में करवाना, रजिस्ट्री होनें के बाद आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा द्वारा रजिस्ट्री में रोड 60 फुट के स्थान पर 30 फुट अंकित कर देनें पर रजिस्ट्री में शुद्धिकरण करनें की एवज में तहसीलदार पीपाड सिटी व उनके रीडर के नाम से 4,000 रूपयें रिश्वत राशि की दिनांक 27.01.2025 को मांग करना व आज दिनांक 28.01.2025 कों 4,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी जीन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान के बरामद होना पाया जानें पर अन्तर्गत अपराध धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी. श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर को गिरफतारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा से लिये गये धोवन ईत्यादि की शीशीया, रिश्वत राशि एवं जब्त शुदा प्रादर्शों एवं आरोपी श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा को श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस एवं श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 एवं परिवादी श्री पोकरराम व गवाहान श्री नवीन चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री विकास पटवारी के घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु नक्शा मौका घटना स्थल रवाना हुआ। वक्त 06.20 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी की निशादेही से रूबरू गवाहान के तैयार कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर बाद नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर मय हमराहीयान के वापिस तहसीलदार कक्ष में आया और प्रादर्श एवं आरोपी श्री जितेन्द्र मुन्दियाडा को श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस एवं श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 से अपनें कब्जें में लिया गया। मूर्तिब शुदा नक्शा मौका शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 07.25 पी.एम. पर श्री चक्रवर्ती सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172 एवं श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक की अब ट्रेप कार्यवाही में कोई आवश्यकता नही होनें पर जोधपुर के लिए निजी वाहन से रवाना किया गया। वक्त 07.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी भाड़ो का बास, ग्राम साथीन, तहसील पीपाड़ षहर, पुलिस थाना पीपाड़ षहर जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 35 भारतीय न्याय संहिता 2023 से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके कहे अनुसार उनके परिचित श्री रामनिवास पुत्र श्री गंगाराम जाति निवासी ग्राम साथीन जिला जोधपुर को रूबरू दी गई। वक्त 09.00 पी.एम. पर मन् किषनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री नवीन चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विकास पटवारी, परिवादी श्री पोकरराम मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 मय गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा मय एक निजी वाहन मय सरकारी वाहन नं. आर जे 14 युसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, परिवादी की पत्नी श्रीमती सीता के नाम दिनांक 23.01.2025 को करवाई रजिस्ट्री प्रमाणित प्रतियां, मय बरामद शुदा रिश्वत राशि 4000/- रूपये सील चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल. एच. 2, आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा के पहनी जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब जहां से रश्विती राशि 4000/-रूपये बरामद हुई का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा प्रादर्श पी 1, पी 2, आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा के पहनी जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब जहां से रिष्वत राषि 4000/-रूपये बरामद हुई उक्त जिन्स पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में डाला षील्ड षुदा पैकेट मार्क पी मय आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा का वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित के तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिये रवाना हुए। वक्त 10.15 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचे। प्रकरण से संबंधित प्रादेष बरामद शुदा रिश्वत राशि 4000/- रूपये सील चिट

शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा के पहनी जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वती राशि 4000/-रूपये बरामद हुई का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा प्रादर्श पी 1, पी 2, आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा के पहनी जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वती राशि 4000/-रूपये बरामद हुई उक्त जिन्स पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में डाला षील्ड षुदा पैकेट मार्क पी मय आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा का वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड डाला हुआ जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रश्वित्ती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, रिष्वत राषि लेन-देन से पूर्व रूबरू वार्ता रिकॉर्ड हैं के उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री पोकरराम को दिनांक 29.01.2025 को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 10.20 पी.एम. पर आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री भूरसिंह हैड कानि. 91 को सुपुर्द कर श्री भूरसिंह हैड कानि. मय ब्यूरो जाब्ता श्री छैलाराम कानि. 46, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा को लेकर रवाना किया। वक्त 11.15 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 मय ब्यूरो जाब्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री जिताराम उर्फ श्री जितेन्द्र मुन्दियाड़ा का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करा पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री अमित कुमार कानि. नं. 270 को मामूर कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 29.01.2025 वक्त 10.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री नवीन चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विकास पटवारी एवं परिवादी श्री पोकरराम कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी पोकरराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 27.01.2025 को परिवादी श्री पोकरराम एवं आरोपी श्री जिताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाड़ा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री पोकरराम ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री जिताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाड़ा की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। उक्त दो सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक सीडी आरोपी के लिए तैयार की गई। उक्त सीडीयों पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर दोनों सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। दिनांक 28 1 2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वती राशि की कानि भीम सिंह के मोबाईल फोन से विडियोंग्राफी की गई थी जिसकी कार्यालय के कम्पयुटर से श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डिवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चंद हैड कानि नं 29 को जमा मालखाना की गई वक्त 12.30 पी.एम. पर परिवादी पोकरराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 28.01.2025 को परिवादी श्री पोकरराम एवं आरोपी श्री जिताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाड़ा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री पोकरराम ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री जिताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाड़ा की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की

मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। उक्त दो सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक सीडी आरोपी के लिए तैयार की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता जो ब्यूरों के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त मूल मेमोरी कार्ड कों सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलाई कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कर शील्ड मोहर किया जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को दोनों सीडीया व मेमोरी कार्ड का शील्ड शुदा पैकेट सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। वक्त 02.00 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री नवीन चौधरी कनिश्ठ अभियन्ता, श्री विकास पटवारी एवं परिवादी श्री पोकरराम को बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया। मौके पर तहसील कार्यालय में तहसीलदार व रीडर के उपस्थित नही होनें पर रूबरू पूछताछ नही की जा सकी। अतः इनकी भूमिका के सम्बन्ध में दौरानें अनुसंधान कर इनकी भूमिका बाबत निर्णय लिया जावेगा। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री पोकरराम की हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 24.01.2025 के परिपेक्ष्य में दिनांक 27.01.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के कानि. श्री भीमसिंह नम्बर 446 को परिवादी के साथ तहसील कार्यालय पीपाड सिटी भिजवाकर परिवादी श्री पोकरराम व आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा के मध्य करवाया गया तों आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडों का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री पोकरराम से उनकी पत्नि श्रीमती सीता के नाम औधोगिक क्षेत्र रिया में प्लाट संख्या 22 व 23 की रजिस्ट्री दिनांक 23.01.2025 को तहसील कार्यालय पीपाड सिटी में करवाना, रजिस्ट्री होनें के बाद आरोपी श्री जीताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा द्वारा रजिस्ट्री में रोड 60 फुट के स्थान पर 30 फुट अंकित कर देनें पर रजिस्ट्री में सही करनें की एवज में तहसीलदार पीपाड सिटी व उनके रीडर के नाम से 4,000 रूपयें रिष्वत राषि की दिनांक 27.01.2025 को मांग करना व आज दिनांक 28.01.2025 कों 4,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी जीन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान के बरामद होना पाया, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन व रिश्वत राशि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, तहसील कार्यालय पीपाड शहर सें परिवादी के पैण्डिग कार्य का प्रमाणित रिकॉर्ड रूबरू गवाहान के कब्जा ब्यूरों लेना, ईत्यादि अन्तर्गत अपराध धारा 7 ए भ्रष्टाचर निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। (किशन सिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशन सिंह चारण, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर शहर, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जिताराम उर्फ जितेन्द्र मुन्दियाडा पुत्र श्री हरीराम मुन्दियाडा जाति जाट उम्र 32 साल निवासी भाडो का बास, ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी पुलिस थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) तहसील कार्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर एस.यू., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 501 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 85–87 दिनांक 29.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जोधपुर, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]1/2025 1[illegible]5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)